अध्याय V
माल का गलत वर्गीकरण

5.1 जनवरी 2010 से नवम्बर 2011 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2010 से अप्रैल 2012) के दौरान हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया था जिसके कारण ₹ 2.04 करोड़ का सीमा शुल्क कम/नहीं लगा था। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने फ्लैंग्स को पवन चालित विद्युत जनरेटरों के कलपुर्जों के रूप में गलत वर्गीकृत किया ।

5.2 जैसा कि धारा XV के नोट 2(ए) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, कस्टम टैरिफ की धारा XVI का नोट 1(जी) "सामान्य उपयोग के कलपुर्जों " को सम्मिलित नही करता। तदनुसार, कस्टम टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 7307,7312,7315,7317 अथवा 7318 की वस्तुएँ एवं आधार धातु की समान वस्तुएं धारा के तहत कवर नहीं होती। स्टील के बने "फलैंग्स ", कस्टम टैरिफ के सीटीएच 7307 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य हैं एवं 10 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने योग्य हैं।

5.3 मैसर्ज गमेसा विंड टरबाईन्स प्रा. लिमिटेड एंव चार अन्यों ने चेन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से "फ्लैंग्स " की 28 खेपें आयात की (जनवरी से मई 2010 एवं अप्रैल से नवम्बर 2011)। निर्धारण अधिकारी ने आयातित माल को कस्टम टैरिफ के सीटीएच 85030010/85030090 के अन्तर्गत पवन चालित विद्युत जेनरेटरों के कलपुर्जों के रूप में वर्गीकृत किया एंव 7.5 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क लगाया । उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार "फ्लैंग्स " "सामान्य उपयोग के कलपुर्जों " की श्रेणी में आते है एंव सीटीएच 73072100 के तहत वर्गीकरण के योग्य है तथा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाने योग्य हैं। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 72 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

5.4 उपायुक्त सीमाशुल्क (बंदरगाह), चेन्नै ने ₹ 53.07 लाख के कर प्रभाव वाले जुलाई 2010 में जारी निष्कर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार नहीं किया एवं आयातकों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हुए कहा (दिसम्बर 2010) कि सीटीएच 7307 21 00 केवल सामान्य उपयोग की वस्तुओं को कवर करता है एंव विशेष उपयोग की वस्तुएं जैसे कि आयातित "फ्लैंग्स " को नहीं। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने आगे कहा कि फलैंग्स पवनचक्कियों के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाईन किये जाते हैं एंव वे पवनचक्कियों के टावर का एक अभिन्न अंग हैं। चूँकि टावर पवनचक्कियों का एक हिस्सा हैं, इसी प्रकार, फ्लैंग्स भी टावरों का एक हिस्सा हैं।

5.5 आयुक्तालय प्राधिकारियों के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखना चाहिए कि मैसर्ज जी.बी. इंजिनियरिंग इंण्टरप्राइसेस प्रा. लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमीश्नरी, त्रिची {2010 (251) ईएलटी, 298 (प्राधिकारण) चेन्नै}, के मामले में प्राधिकरण ने निर्णय दिया था कि "पवनचक्की " टावर लौह अथवा इस्पात की सामान्य

वस्तुओं के रूप में विशेषकर सीटीएच 7308 के तहत वर्गीकरणीय हैं। समान विचारधारा के अनुसार, फलैंग्स विशेष रूप से सीटीएच 730791 के तहत कवर किये गए सामान्य उपयोग की वस्तुएँ हैं।

5.6 इसके अतिरिक्त, अपने ही कथन के विपरीत, उपायुक्त सीमाशुल्क, चेन्नै ने ₹ 18.93 लाख के राजस्व प्रभाव के साथ फरवरी 2012 में इंगित किये गए समान निष्कर्ष को स्वीकार किया एंव परिणामस्वरूप आयातकों को कारण बताओं ज्ञापन जारी किये थे। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने प्रोजेक्टर को स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले मद के रूप में गलत वर्गीकरण किया ।

5.7 स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन (एडीपीएम) के साथ-साथ टेलिविजन एंव विडियो के साथ कार्य कर सकने योग्य " प्रोजेक्टर" सीटीएच 8528 69 00 के तहत बीसीडी के लिए 10 प्रतिशत की दर पर निर्धारण के लिए वर्गीकरण योग्य हैं । केन्द्रीय उत्पाद एंव सीमा शुल्क ने परिपत्र संख्या 33/2007-कस दिनांक 10 सितम्बर 2007 में निर्धारण के उद्देश्य से अन्तर करने के लिए कम्प्यूटर मानीटर एवं टीवी/विडियों के साथ प्रयोग होने वाले दूसरी तरह के मानीटरों की तकनीकी विशेषताओं के विषय में स्पष्टीकरण जारी किये थे। जो कि प्रोजेक्टरों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

5.8 मैसर्ज इप्सन इंडिया लिमिटेड एंव मैसर्ज एस्सार इण्डिया लिमिटेड ने चेन्नै (वायु) आयुक्तालय द्वारा प्रोजेक्टरों के विभिन्न माडलों की 11 खेपें आयात (मार्च से जुलाई 2011) की थीं। निर्धारण अधिकारी ने उन माडलों को मुख्य रूप से स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ प्रयोग होने वाले मानते हुए आयातित माल को सीटीएच 8528 61 00 के तहत वर्गीकृत किया एंव सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 (क्रम सं. 17) दिनांक 1 मार्च 2005 के अन्तर्गत शून्य दर पर बीसीडी लगाई।

5.9 उन माडलों की वेबसाईट पर उपलब्ध तकनीकी विशेषताओं ने इंगित किया कि वे स्वचालित प्रोसेसिंग प्रणाली के साथ टेलीविजन/विडियो के साथ प्रयोग की जा सकती हैं, टैरिफ मद 85286900 के तहत 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क के लिए वर्गीकरण योग्य हैं। गलत वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप ₹ 54.80 लाख के शुल्क का कम संग्रह हुआ।

5.10 सीमाशुल्क उपायुक्त (हवाईअड्डा), चेन्नै ने मैसर्ज एसार इण्डिया लिमिटेड के संबंध में ₹ 14.34 लाख की माँग की पुष्टि की (फरवरी/अप्रैल 2012)। तथापि, मैसर्ज एस्पन इण्डिया लिमिटेड के संबंध में ₹ 40.46 लाख के प्रभाव वाले शुल्क के लिए उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने पशु चारे को मानव उपयोग के लिए अनुप्युक्त मत्स्य भोजन के रूप में गलत वर्गीकृत किया ।

5.11 "पशु चारे के लिए प्रयोग होने वाला एक प्रकार का सम्पाक" सीटीएच 2309 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य है एंव 30 प्रतिशत की दर से बीसीडी एवं शून्य दर पर सीवीडी लगाने योग्य है। अध्याय 23 में उपलब्ध व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार, जो अध्याय में

और कहीं विनिर्दिष्ट नहीं हैं, सीटीएच 2309 पशु चारे में प्रयुक्त एक प्रकार के उत्पाद को समाहित करता है, जो उस सीमा तक वनस्पति अथवा पशुसामग्री पर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती हैं जहाँ तक उन्होनें मूल सामग्री की अनिवार्य विशेषताएं खो दी हैं।

5.12 इसके अतिरिक्त, सीटीएच 2301 के अन्तर्गत नामावली टिप्पणी की संगत प्रणाली (एचएसएन) में प्रावधान है कि यह शीर्षक संपूर्ण पशु अथवा पशु उत्पाद पर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पादों को कवर करता है।

5.13 मैसर्ज अवन्ति फीड लिमिटेड ने चेन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से "स्कीड लीवर पाउडर " की नौ खेपें आयात की थीं। (फरवरी से सितम्बर 2011) निर्धारण अधिकारी ने इस माल को सीटीएच 23012090 के अन्तर्गत " मानव प्रयोग के लिए अनुपयुक्त अन्य मत्स्य भोजन" के रूप में वर्गीकृत किया एंव अधिसूचना 21/2002 (क्रम सं. 53) के तहत 5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी लगाया। लेखापरीक्षा ने आपूर्तिकर्ताओं की वेबसाईट(एचटीटीपीः// मिलाम्ल.कॉम/प्रोडक्टस/) से देखा कि स्कीड लीवर पाउडर में या तो 50 प्रतिशत स्कीड लीवर पेस्ट एवं 50 प्रतिशत अच्छी तरह फाईन किया सोयाबीन मील अथवा शुद्ध स्कीड लीवर पेस्ट एंव 40 प्रतिशत सोयाबीन मील के साथ 60 प्रतिशत तेल होता है। सोयाबीन मील तथा स्कीड लीवर पेस्ट का मिश्रण होने के नाते आयातित मद सीटीएच 2301 के स्थान पर सीटीएच 2309 के अन्तर्गत वर्गीकरण के योग्य थी एंव भारित 5 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाने योग्य थी। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 52.53 लाख का शुल्क कम लगा।

5.14 *मंत्रालय ने लगाए गए कम शुल्क पर अधिनिर्णयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की सूचना दी (दिसम्बर 2012)।*

निर्धारण अधिकारी ने खाद्य/दैनिक आहार पूरक को आयुर्वेद प्रणाली की औषधियों के रूप में गलत वर्गीकृत किया ।

5.15 विविध खाद्य पदार्थ सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 21 के तहत् कवर होते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थ कही भी विशिष्ट रूप से वर्णित या शामिल नहीं हैं, सीटीएच 2106 के तहत् वर्गीकृत किए जाने हैं और 35 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के बाद आरएसपी के 10 प्रतिशत दर पर सीवीडी और तीस प्रतिशत दर पर बीसीडी निर्धारण योग्य हैं। अध्याय 30 के नोट 1(ए) के अनुसार अध्याय खाद्य पूरकों को कवर नहीं करता। इसके अतिरिक्त, दैनिक आहार/खाद्य पूरक दैनिक आहार को पूरा करने और पोषण देने के उद्देश्य से तैयार किए गए पदार्थ है।

5.16 मै. डेक्सन एग्रीटेक (भारत) प्रा. लिमिटेड ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से 1200 किलोग्राम "रेशी गैनो पाउडर " और 2000 किलोग्राम "गेनोसेलियम पाउडर " का आयात किया। निर्धारण अधिकारी ने सीटीएच 30039011 के तहत् आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण "आयुर्वेद प्रणाली की औषधियां " के रूप में किया और बीसीडी/सीवीडी का क्रमशः 5/10 की दर पर उद्ग्रहण किया था। आयातित वस्तुएँ वास्तव में खाद्य/दैनिक आहार थी जो सीटीएच 21069099 के तहत "अन्य तैयार खाद्य

जिन्हें कहीं अन्य जगह वर्णित नहीं किया गया" के रूप में वर्गीकृत किया जाना होता है जिनपर क्रमशः 30/10 प्रतिशत की दर से बीसीडी/सीवीडी लगती है। इस प्रकार आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 24.49 लाख के कम शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

5.17 *मंत्रालय ने सूचना दी कि वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया जा चुका है (फरवरी 2013)।*

नई दिल्ली **(नीलोत्पल गोस्वामी)**
दिनांक **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक**